

फ़िल्म बंधु - सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम

आवेदक (निर्माता / निदेशक) से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित पत्रों की स्कैन की हुई प्रतियों को पीडीएफ / जेपीईजी / जेपीजी प्रारूप में तैयार रखें, जिनका आकार फॉर्म भरते समय प्रत्येक 2 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए

उत्तर प्रदेश में किए जा चुके फिल्मांकन/आगामी फिल्मांकन के लिए अनुवृत्ति प्राप्त करने हेतु
चेकलिस्ट

क्र०	पत्रों के नाम
1	आई एम पी पी ए /डब्ल्यू आई एफ पी ए/अन्य द्वारा निर्गत फ़िल्म के नाम/शीर्षक का प्रमाणपत्र
2	फ़िल्म का सार एवं फ़िल्म की पटकथा (संवाद सहित)
3	समस्त कू सदस्यों का बायो डेटा
4	स्व-प्रमाणित प्रमाण कि आवेदक एक राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्माता/निर्देशक है
5	उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का निवास प्रमाण पत्र
6	रु० 100/- के स्टाम्प पेपर पर फिल्म निर्माता का पैन विवरण
7	जीएसटीआईएन प्रमाणपत्र
8	पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न
9	निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, कू के सदस्य आदि के अनुमानित/वास्तविक बजट से संबंधित पत्र
10	फ़िल्म के डिजिटल प्रारूप में निर्माण हेतु संबंधित पत्र
11	फ़िल्म निर्माण के लागत हेतु संबंधित पत्र
12	फ़िल्म शूटिंग प्रमाणपत्र, यदि फिल्मांकन पूर्ण हो चुका है